ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)
AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)
(Regd No. S/2999 of 1966-67)
FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006
Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA	VISHNU BHARGAVA	VINAY NARANG
PRESIDENT	Hony. General Secretary	Hony. Treasurer
Mobile : 9891008503	Mobile : 9811139614	Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/124 दिनांक : 17 जुलाई, 2017

''आयकर के सन्दर्भ में''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2017 है। आईटीआर से जुड़ी निम्नलिखित जानकारियां दिनांक 16–7–2017 को दैनिक अखबार में प्रकाशित की गई जोकि हम समझते है कि हमारे व्यापारियों के लिए जानना अति आवश्यक है –

किसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, किसे नहीं

फाइनैंशल इयर 2016–17 के स्लैब के हिसाब से छूट की सीमा 60 साल से कम के पुरूषों और महिलाओं के लिए 2.5 लाख रूपये है। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए यह सीमा 3 लाख रूपये है और 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए 5 लाख तक की आमदनी टैक्स–फ्री है।

साल भर में हुई कुल इनकम में से HRA, मेडिकल और कन्वेंस आदि Exemption घटाने के बाद जो रकम बचती है, उसके हिसाब से रिटर्न भरने या न भरने का फैसला होता है। यह 80C आदि Deduction घटाने से पहले की रकम है।

अगर चैप्टर VIA क इन्वेस्टमेंट और ब्याज की छूट लेने से पहले आपकी इनकम इस सीमा से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना होगा। मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली छूट के बाद अगर टैक्सेबल इनकम इस लिमिट से कम हो रही है तो भी रिटर्न भरना होगा।

मान लें, आपकी ग्रॉस इनकम 3 लाख रूपये है और उम्र 60 साल से कम है। आपन 80सी में पीपीएफ और इन्श्योरेन्स पॉलिसी में 60 हजार रूपये इनवेस्ट कर दिए। ऐसे में इससे आपकी टैक्सेबल इनकम रह गई 2 लाख 40 हजार रूपये। अब यह 2.5 लाख की एग्जम्शन लिमिट से तो कम है, लेकिन आपको रिटर्न भरना होगा क्योंकि डिडक्शन से पहले की इनकम 3 लाख है।

रिटर्न भरने के लिए ये हैं जरूरी

फॉर्म 16

जो सैलरीड हैं, यह फॉर्म अब तक उनके एम्प्लॉयर ने उन्हें दे दिया होगा। आपकी सैलरी से जो टीडीएस पिछले फाइनैंशल इयर में काटा गया होगा, वह इसमें दर्ज होगा।

TDS सर्टिफिकेट

अगर सैलरी के अलावा किसी दूसरे स्त्रोतों से भी आमदनी हुई हो और उस पर टीडीएस कट चुका हो तो उस संस्था से भी टीडीएस सर्टिफिकेट ले लें। रेंटल इनकम, शेयर, एफडी वगैरह से होने वाली इनकम के मामले में टीडीएस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।

बैंक स्टेटमेंट्स

सभी सेविंग्स अकाउंट्स की साल भर (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक) की स्टेटमेंट ले लें। इसकी मदद से आपको यह पता चलेगा कि इस फाईनैंशल इयर में बैंक ब्याज के तौर पर आपको कितनी आमदनी हुई। ब्याज को इस आमदनी को आपको रिटर्न में दिखाना होगा।

फॉर्म 26 AS

फॉर्म 26 एएस से आप यह पता लगा सकते हैं कि कंपनी या बैंक ने आपका जो टीडीएस काटा है, उसे सरकार के पास जमा भी कराया है या नहीं। इससे यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका काटा गया टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच गया है। इस टीडीएस का ब्योरा आप दो तरह से देख सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न की साईट incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्टर्ड हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर लेफ्ट साइड में View Form 26AS पर क्लिक करें। अगर बैंक पिछले फाईनैंशल आपका टीडीएस काट चुका है और आप नेट बैकिंग इस्तेमाल करते हैं तो बैंक की वेबसाइट पर जाकर View Your Tax Credit पर क्लिक करके फॉर्म 26 एएस दे सकते हैं। यहां आपको उस बैंक में की गई एफडी आदि से जुड़ी जानकारी भी मिल जाएगी।

दूसरे जरूरी दस्तावेज

पैन नंबर और बैंक की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बैंक का IFSC कोड नंबर रिटर्न में भरा जाता है। इसी से रिफंड का पैसा आपके अकाउंट में आता है। आपको आधार नंबर की भी जरूरत होगी। अगर आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से बनवा लें। नोटबंदी के दौरान यदि आपने अपने किसी खाते में 2 लाख या इससे ज्यादा रकम जमा कराया है तो आपको यह अकाउंट नंबर और जमा रकम का विवरण भी देना होगा। ये डिटेल्स भी अपने पास रखें।

कुछ बुनियादी बातें

फाइनैंशल इयर

1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को फाइनैशल इयर कहा जाता है उदाहरण के तौर पर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के समय को फाईनैंशल इयर 2016–17 कहा जाएगा। अभी हम जो रिटर्न भर रहे हैं, वह फाईनैंशल इयर 2016–17 के लिए है।

असेसमेंट इयर

असेसमेंट इयर फाईनैंशल इयर से आगे वाला साल होता है यानी जिस साल उस फाइनैंशल इयर के टैक्स संबंधी मामलों का अससमेंट किया जाता है। मसलन फाइनैंशल इयर 2016–17 के लिए असेसमेंट इयर 2017–18 होगा।

डिडक्शंस

विभिन्न तरह की इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपको टैक्स में छूट मिलती है। ये कई तरह के आइटम होते है, जहां इन्वेस्टमेंट करके टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है। मसलन सेक्शन 80सी से सेक्शन 80यू तक जो भी आइटम हैं, उन्हें डिडक्शन के तहत माना जाता है।

ग्रॉस इनकम

टैक्स–फ्री आमदनी और अलाउंसेस को छोड़कर आपकी साल की कुल आमदनी जो भी है, उसे ग्रास इनकम कहा जाता है, ग्रॉस इनकम हमेशा 80 सी से 80 यू तक मिलने वाले डिडक्शन से पहले वाली इनकम होती है।

टैक्सेबल इनकम

ग्रॉस इनकम में से 80सी से 80 यू तक मिलने वाले डिडक्शन क्लेम कर लेने के बाद जो इनकम आती है, उसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं, यानी डिडक्शन से पहले वाली इनकम ग्रॉस इनकम और डिडक्शन के बाद वाली इनकम को टैक्सेबल इनकम कहते हैं।

टीडीएस

आपकी जो भी आमदनी होती है, सरकार उस पर टैक्स काटती है। इसे टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स कहा जाता है। जो संस्था आपको पेमेंट कर रही है, वही टैक्स की इस रकम को काटती हैं मसलन आपकी कंपनी आपको जो सैलरी देती है, वह उस पर बनन वाले टैक्स को काटकर बाकी रकम आपके खाते में ट्रांसफर करती है। टीडीएस काटने का काम एंम्प्लॉयर या पेमेंट करने वाली संस्था का है। इसे काटना या जमा करना लेने वाले की जिम्मेदार नहीं हे। आमतौर पर जब कोई संस्था किसी काम के बदले आपको भुगतान करती है, तो वह 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटती है।

सीनियर सिटिजन

जिन लोगों की उम्र 31 मार्च 2017 को 60 साल या उससे ज्यादा थी, उन्हें सीनियर सिटिजन माना जाएगा। इसी तरह जिन लोगों की उम्र 31 मार्च 2017 को 80 साल से ज्यादा थी, वे सुपर सीनियर सिटिजंस होंगे। आप जिस फाइनैंशल इयर का रिटर्न भर रहें हैं, उसके अंतिम दिन 31 मार्च को उम्र की गिनती की जाती है।

इनकम टैक्स रिफंड

अगर किसी टैक्सपेयर ने सरकार को ज्यादा टैक्स दे दिया है, तो वह उस रकम को सरकार से वापस ले सकता है। इस वापस आई रकम को ही रिफंड कहा जाता है। टैक्स रिटर्न भरकर आप इस एक्स्ट्रा रकम को इनकम टैक्स विभाग से क्लेम करते हैं। इसके बाद रिफंड की यह रकम आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके अकाउंट में भेज दी जाती है।

फॉर्म 16A

अगर सैलरी के साथ–साथ दूसरे जरियों से भी आपको आमदनी हुई हो और उस पर टीडीएस कट चुका हो तो उस संस्था से भी टीडीएस सर्टिफिकेट ले लें। इस सर्टिफिकेट को ही फॉर्म 16A कहा जाता है। यहां हम रेंटल इनकम शेयर, एफडी वगैरह से होने वाली इनकम की बात कर रहें हैं। एफडी के मामले में आपका बैंक आपको यह सर्टिफिकेट देगा।

फॉर्म 16

अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको एक फॉर्म 16 देता है यह फॉर्म अब तक आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया होगा। यह इस बात को साबित करता है कि एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से अगर टैक्स बनता है, तो टीडीएस काटा है। इनकम टैक्स के नियामें के मुताबिक हर एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है कि वह फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को दें। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको यह फॉर्म नहीं दे रहा है तो आप इसकी रिक्वेस्ट उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजें और इसका सबूत अपने पास रखें। इनकम टैक्स विभाग के पूछताछ करने पर यह सबूत दिखाया जा सकता है।

फॉर्म 26AS

फॉर्म 26एएस एक कंसॉलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट है। इसमे खासतौर से तीन तरह के ब्योरे होते हैं। पहला टीडीएस का ब्योरा, दूसरा टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स का ब्योरा और तीसरा टैक्सपेयर द्वारा बैंक में जमा कराया गया एडवांस टैक्स/सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ब्योरा। फॉर्म 26 एएस से आप यह पता लगा सकते हैं कि कंपनी या बैंक ने आपका जो टीडीएस काटा है, उसे सरकार के पास जमा कराया भी या नहीं।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव